Serial No. 30880

Book No. :- 1 Deed No. 25327

Serial No. 30880

Deed No. 25327

Govt. of Bihar

District Registry Office ,Patna

Summary of Endorsement

This document was presented for registration on 19/09/2012 by Mahapati Devi

A stamp duty of Rs. 97360/- and other fees of Rs. 879/- has been paid in it.

The document was found admissible. The names, photographs and fingerprints and signatures of the executants, and their identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.

The document has been registered as deed no. 25327 in Book No. 1, Volume No. 482 on pages from 405 to 420 and has been preserved in total 16 pages in C.D. No. 75 / Year 2012

Date: 19/09/2012

Token No: 31655 /2012

Signature with Date
(Ashok Kumar Thakur)
Registering Officer, Patna

SCANNED

ॐ

डेवलपमेंट एग्रीमेन्ट

यह विकास एकरारनामा आज दिनांक 19 सितम्बर 2012 ई0 को निम्नांकित पक्षों के बीच निष्पादित किया जाता है।

श्रीमती महापति देवी पति श्री उमा शंकर सिंह, निवासी ग्राम वो पोस्ट– खुशहालपुर, जिला– नालंदा, भारतीय नागरिक, "भूखण्ड स्वामिनी (प्रथम पक्ष)। (भूखंड स्वामिनी प्रथम पक्ष से अभिपाय उन सभी सदस्यों को सम्मिलित किया जाता है जिसका संबंध भू-खण्ड से/ भूखण्ड स्वामिनी के भूखण्ड से विधित प्रतिनिधि/कानूनी वारिसान सदस्य/उत्तराधिकारीगण एवं प्रशासकीयश प्रतिनिधि से है)।

For MAHENDRA GREEN HOMES PVT. LTD.
Managing Director

District Registry Office,Patna

Token Number 31655 | Reg. Year 2012 | Serial Number 30880 | Deed Number 25327

PresType	Name	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little
Presented By	Mahapati Devi महापति देवी Sig. 19/9/12						
Claimant	Ravinesh Kumar (M. Dir.) Sig. Ravinesh Kumar 19/9/12						
Identified By	Amarendra Kumar Singh Sig. Amarendra Kumar Singh 19/09/12						
Executant	Mahapati Devi Sig.	☒ Photo	☒ Thumb	☒ Index	☒ Middle	☒ Ring	☒ Little

SCORE Ver.3.0 Powered by InfoSystem and Solutions,Patna Biometric Captured By 2800sop005

एवं

महेन्द्रा ग्रीन होम्स प्रा० लि०, जिसका कार्यालय– ई०– 85, पी०सी० कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना– 20, द्वारा प्रबंधक निदेशक श्री रविनेश कुमार पिता श्री महेन्द्र सिंह, निवासी ई– 85, पी० सी० कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना– 20, भारतीय नागरिक **"बिल्डर"** या **"डेवेलपर्स"** द्वितीय पक्ष। (यहाँ द्वितीय पक्ष से अभिप्राय यह है कि उनका उत्तराधिकारी, कार्यालय उत्तराधिकारी एवं चयनित उत्तराधिकारी से है, जिनका संबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से द्वितीय पक्ष से है, सम्मिलित किया जाता है।)

यह कि उपर वर्णित प्रथम पक्ष नीचे वर्णित भूखंड के भुखंड स्वामिनी है तथा प्रथम पक्ष ने नीचे वर्णित भूखण्ड को एक निबंधित वसीका बिक्रय पत्र के माध्यम से दिनांक 27.07.1985 ई० को द सेवा निकेतन सहकारी गृह निर्माण समिति लि० पटना निबंधन संख्या– 226/पैट/81 द्वारा सचिव श्री विरेन्द्र कुमार वल्द श्री बालदेव प्रसाद से उक्त भू–स्वामिनी ने खरीद की है। जिसका वसीका नं०– 5593, बुक नं०– 1, जिल्द नं०– 94, पेज नं०– 139 से 142, सन् 1985 ई० निबंधन कार्यालय पटना सदर है और खरीदारी तिथि से भूखण्ड स्वामिनी नीचे वर्णित भूखण्ड पर काविज दखिल मालिक मुस्तकिल रहते चले आ रहे हैं तथा भूखण्ड स्वामिनी के नाम से भू–राजस्व रसीद संबंधित अंचल कार्यालय से कटता है जिसका जमाबंदी नं०– 1889 है।

For MAHENDRA GREEN HOMES PVT. LTD.
Managing Director

यह कि प्रथम पक्ष उपरोक्त जमीन जिसका विवरण सिड्यूल में अंकित है पर भूकंप अवरोधि बहुमंजिला ईमारत बनवाना चाहते हैं और इस उदेश्य हेतु इसे उपर वर्णित द्वितीय पक्ष बिल्डर को निम्नलिखित तथ्यों एवं शर्तों पर दिया गया है।

1. प्रथम पक्ष यह घोषणा करते हैं कि नीचे वर्णित भूखंड पूर्णतः साफ सुथरा अर्थात सिलिंग, एक्युजिसन आदि से मुक्त है तथा इन पर किसी तरह का कर्ज, बकाया या ऋणभार नहीं है। साथ ही इस जमीन पर किसी अन्य सरकारी विभाग से भी अटैचमेंट या एक्युजिसन से संबंधित कोई सूचना नहीं है। इस जमीन से संबंधित किसी प्रकार का कोई केस न्यायालय में नहीं है और

यह भूखण्ड पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार के मास्टर प्लान को किसी तरह से प्रभावित नहीं करता है और बहुमंजिला ईमारत के नक्शा पास होने में किसी तरह का बाधा या अड़चन नहीं होगा। प्रथम पक्ष यह भी घोषणा करते हैं कि वे इस भूखंड का पूर्णतः मालिक है तथा अभी तक किसी के साथ न तो बेचा है, न दान में दिया है, नहीं रेहन रखा है, न तो इस तरह का कोई अन्य एकरारनामा (एग्रीमेन्ट) स्टैंड करता है।

2. यह कि प्रथम पक्ष, इस एग्रीमेन्ट के बाद, द्वितीय पक्ष एवं इनके स्टाफ, इंजिनियर, आर्किटेक्ट, एजेन्ट इत्यादि को हरेक तरह के सुविधा प्रदान करेगें। जैसे उक्त भूखण्ड पर जाने रहने, प्रचार हेतु बोर्ड लगाने या बिल्डिंग मटैरियल जमा करने हेतु एवं अन्य विकास पूर्व कार्य, जमीन नापने, बॉण्ड्री वाल करने हेतु इत्यादि।

3. यह कि प्रथम पक्ष नक्शा स्वीकृत होने के पूर्व नीचे वर्णित भूखंड को द्वितीय पक्ष को पूर्णतः खाली अवस्था में सौंप देगें।

4. यह कि प्रथम पक्ष यह भी घोषणा करते हैं कि उक्त भूखंड से संबंधित किसी तरह का कोई और एग्रीमेन्ट किसी अन्य व्यक्ति या फर्म के साथ नहीं किये हैं, अगर ऐसा पाया जाता है तो द्वितीय पक्ष इस एग्रीमेन्ट को निरस्त कर सकते हैं एवं उक्त भूखंड पर निर्माण हेतु किये गये सभी कार्यो में खर्च/राशि लेने के हकदार होगें साथ ही यह भी घोषणा करते हैं कि निर्माण अवधि में द्वितीय पक्ष के सामने किसी प्रकार की दिक्कते पैदा नहीं करेगें।

5. यह कि प्रथम पक्ष का हिस्सा निर्मित बहुमंजिली इमारत में 55 (पचपन) प्रतिशत होगा तथा शेष 45 (पैतालीस) प्रतिशत हिस्सा विकासकर्ता द्वितीय पक्ष का होगा इसी तरह पार्किंग स्थल में भी दोनों पक्षों का हिस्सा उपरोक्त प्रतिशत के अनुसार ही होगा तथा द्वितीय पक्ष उपरोक्त 45 (पैतालीस) प्रतिशत हिस्सा जो प्रथम पक्ष का है, जिसे पूर्ण रूप से विकसित कर हर सुविधा के साथ सौपेगें। जिसके निश्वत एक अलग से एकरारनामा दोनों पक्ष बना लेगें।

For MAHENDRA GREEN HOMES PVT. LTD.
Managing Director

6. यह कि प्रथम पक्ष यह घोषणा करते हैं कि उपर वर्णित भूखंड स्वामियों के अलावा इसमें और किसी अन्य व्यक्ति का हिस्सा नहीं है। अगर ऐसा होता भी है तो वह शर्त संख्या– 5 के अनुसार सिर्फ प्रथम पक्ष के हिस्से में से ही हिस्सेदारी होगा न कि द्वितीय पक्ष के हिस्सा से यानि कि द्वितीय पक्ष का हिस्सा किसी रूप में प्रभावित नहीं होगा।

7. यह कि द्वितीय पक्ष (बिल्डर) स्वीकृत होन वाले नक्शे पर स्वयं हस्ताक्षर करेगें।

8. यह कि प्रथम पक्ष इस बात पर भी सहमत है कि समय–समय पर जरूरत पड़ने वाले सभी तरह के पेपर (डीड) एवं अन्य कागजात द्वितीय पक्ष को उपलब्ध करायेगें।

9. यह कि द्वितीय पक्ष को किसी समय भविष्य में उक्त सम्पति/भवन पर से हटाना वो छोड़ना पड़ता है जैसे टाईटिल में कमी या इस तरह के अन्य विवाद के चलते तो द्वितीय पक्ष को यह हक होगा कि निर्माण उसके संबंध में की गई अन्य सम्पूर्ण राशि प्रथम पक्ष से वसूल करेगें।

10. यह कि प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि निर्माण के समय कार्य का निरीक्षण कर सकते हैं और किसी तरह का त्रुटि होने पर बिल्डर से कहकर उसका सुधार करवायेगें। अनधिकृत या अवैध कार्य बंद कराने का अधिकार होगा।

11. यह कि द्वितीय पक्ष नक्शा स्वीकृति के तिथि से दो वर्ष में निर्माण कार्य पूर्ण करके प्रथम पक्ष को उनका हिस्सा सौंप देगें अगर द्वितीय पक्ष उक्त अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करते हैं तो इसके लिए ग्रेस अवधि छः माह द्वितीय पक्ष को दिया जायेगा।

12. यह कि सरकारी नितियों के कारण मुकदमा के कारण या न्यायालय के आदेश के तहत निर्माण कार्य रुक जाये तब वैसी हालत में विकासकर्त्ता (विल्डर) का दोष नहीं होगा। इस हालत में विकासकर्त्ता द्वारा कार्य करने की अवधि जितना दिन कार्य बन्द होगा उतना दिन के लिए बढ़ा दिया जायेगा। अगर विकासकर्त्ता की ओर से गलती होती है तो यह नियम नहीं लगेगा।

For MAHENDRA GREEN HOMES PVT. LTD.
Managing Director

13. यह कि बिल्डर अपने हिस्से को किसी भी व्यक्ति को सीधे बिक्रय कर, बिक्रय-पत्र निष्पादित कर सकते हैं और इस कार्य में प्रथम पक्ष को किसी प्रकार का आपत्ति नहीं होगा ठीक उसी प्रकार प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि वे अपने हिस्से को किसी से बेच सकते हैं या अपने पास रख सकते हैं उसमें द्वितीय पक्ष को कोई अधिकार नहीं होगा।

14. यह कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत है कि सबसे उपरी छत, सेट बैंक, सिढ़ी इत्यादि पर सभी रहने वालों का समान रूप से उपयोग करने का अधिकार होगा व्यक्तिगत रूप से उस पर किसी का दावा नहीं रहेगा।

15. यह कि निर्माण संबंधी सभी तरह के खर्चो का निष्पादन इस एग्रीमेन्ट के निष्पादन के तिथि से डेवलपर्स यानि कि द्वितीय पक्ष द्वारा उठाया जाएगा परन्तु एग्रीमेन्ट के पहले का बकाया राशि अथवा अन्य प्रकार की जबावदेही प्रथम पक्ष की ही होगी।

16. यह कि बिल्डर के द्वारा कौमन क्षेत्र के लिए, प्रकाश, पानी आपूर्ति के लिए बोंरिग एवं पंप की सुविधा प्रदान की जायेगी। इसके अलावे विधुत एवं जेनरेटर द्वारा विद्युत सप्लाई अन्य सदस्यों की तरह प्रथम पक्ष को भी उपलब्ध करायेगें। जिस पर आने वाले खर्च की रकम सभी फ्लैट धरक को मिलकर वहन करना पड़ेगा।

17. यह कि निर्माण कार्य के मार्ग में द्वितीय पक्ष के द्वारा कार्य सम्पादन हेतु सभी तरह के कानूनी प्रकियाओं को पूर्ण करने का अधिकार होगा जिससे कि प्रस्तावित योजना का कार्यान्यवन हो सके। निर्माण कार्य में लागत पूँजी समावेश द्वितीय पक्ष डेवलपर्स अपने सुविधानुसार करेगें। पूंजी मुहैया हेतु द्वितीय पक्ष किसी भी बैंक/वित्तीय संस्थान से आर्थिक ऋण निर्मित क्षेत्र के अपने हिस्से को मॉरगेज कर अथवा प्रस्तावित योजना के तहत फ्लैटो / पार्किंगों के एवज में बुकिंग कार्य/ आर्थिम ऋण उगाही सिर्फ 45 (पैंतालीस) प्रतिशत क्षेत्र पर ही करेगें। किसी भी हालत में प्रश्नगत भूखंड बिल्डर बंधक नहीं रखेगें।

For MAHENDRA GREEN HOMES PVT. LTD.
Managing Director

18. यह कि द्वितीय पक्ष डेभलपर पूर्ण रूप से भवन निर्माण होने के पश्चात फ्लैट धारियों की सहमति से एक प्रबंध समिति का गठ्न कर देगें सभी फ्लैटों में जलापूर्ति भवन के सामुहिक क्षेत्र यथा सीढ़ियाँ, बरामदा आदि की सफाई सामुहिक क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति के बिल भुगतान, सुरक्षा एवं सामुहिक कार्यो की देख–रेख और इसके लिए सभी फ्लैट्धारी समिति द्वारा निर्धारित राशि का प्रत्येक माह में भुगतान करेगें। फ्लैट धारकों को सामुहिक क्षेत्रों यथा सीढी बरामदा, लिफ्ट आदि का उपयोग करने का पुरा अधिकार होगा। सभी फ्लैटों में अलग–अलग विद्युत मीटर द्वितीय पक्ष लगाकर देगें लेकिन विद्युत मीटर लगाने में आने वाला खर्च फ्लैट धरको को करना होगा।

19. यह कि किसी तरह का विवाद या मतभेद होने पर निष्पक्ष एवं स्वतंत्र पंच की नियुक्ति भारतीय आर्विट्रेशन एक्ट के तहत किया जायेगा तथा विवाद या मतभेद का निपटारा पटना अधिनस्थ न्यायालय से किया जायेगा।

20. यह कि दोनों पक्षों के सहमति से निर्मित बहुमंजिला इमारत का नाम "लव–कुश इन्कलेब" रखा जायेगा।

21. यह कि विकास एकरारनामा निबंधित होने के बाद अगर सरकार द्वारा किसी तरह की परियोजना चलाये जाने पर जमीन घट जायेगी तो वैसे सुरत में उक्त प्रतिशत के अनुसार ही प्रथम पक्ष का हिस्सा द्वितीय पक्ष हर सुविधा के साथ सौपेंगे।

22. यह कि भूखण्ड स्वामिनी का हिस्सा एवं विकासकर्त्ता का हिस्सा Architect द्वारा बनये जाने के बाद एवं संबंधित ऑथोरिटी द्वारा नक्शा पास करने के बाद आपसी सहमति से तय हो जायेगा कि कौन सा एरिया भूखण्ड स्वामिनी का होगा एवं कौन सा एरिया विकासकर्ता का होगा।

For MAHENDRA GREEN HOMES PVT. LTD.
Managing Director

सिड्यूल

उपर वर्णित भूस्वामिनी के भूखंड का विवरण :-

रकवा 3025 वर्गफीट (तीन हजार पच्चीस वर्गफीट) अर्थात 6.9471 डीसमील जो महल्ला भागवत नगर, सर्वे मौजा- कुम्हरार, थाना- सुलतानगंज, हाल थाना- अगमकुआँ, सव रजिस्ट्री ऑफिस पटना सिटी, सदर रजिस्ट्री ऑफिस वो जिला- पटना, जिसका थाना नं0- 12, तौजी नं0- 264, खाता नं0- 430 (चार सौ तीस) सर्वे प्लॉट नं0- 326/3573 (तीन सौ छब्बीस/ तीन हजार पाँच सौ तिहत्तर) का अंश समिति प्लौट नं0-1, सेक्टर- ए0, जो पटना नगर निगम के अन्दर है। जिसका चौहद्दी निम्नांकित है।

चौहद्दी

उत्तर - 15 फीट चौड़ा रास्ता

दक्षिण - पार्ट प्लौट नं0- 326/3573

पुरब - सर्वे रोड

पश्चिम - सोसायटी प्लॉट नं0- 2 श्री बी0 के0 सिंह

सरकार द्वारा निर्धारित दर (M.V.R. Code No. 006) के मुताबिक उपरोक्त जमीन का कुल कीमत मो0 48,63,000/- (अड़तालीस लाख तिरसठ हजार) रुपया मात्र।

For MAHENDRA GREEN HOMES PVT. LTD.
Managing Director

परिशिष्ट

1.	फाउंडेशन	:-	आर0सी0सी0 पाईलिंग भूकंप अवरोधी स्ट्रक्चरल डिजाईनर के अनुसार ।
2.	स्ट्रक्चर	:-	आर0सी0सी0 फ्रेम स्ट्रक्चर
3.	सिविल वर्क	:-	प्रथम श्रेणी का ईट वर्क सिमेन्ट मोटर के साथ।
4.	छत	:-	आर0सी0सी0 ।
5.	फर्श	:-	मार्बल/ रेक्ट्रफाईड।
6.	प्लास्टर	:-	सिमेन्ट मोटर्स (1:6) सिलिंग (1:4)
7.	दरवाजा	:-	सखुआ लकड़ी का चौखट फैक्ट्री से निर्मित प्लस डोर पैनल।

8.	खिड़की	:–	सखुआ लकड़ी की खिड़की/अल्युमिनियम की खिड़की।
9.	रसोईघर	:–	ग्रेनाईट का वर्किंग प्लेटफार्म, (ब्रांडेड) स्टील सिंक तथा दीवाल में वर्किंग प्लेटफार्म के उपर अढ़ाई (2½) फीट ग्लेज्ड टाईल्स ।
10.	बाथरूम	:–	दीवाल में 7 फीट ग्लेज्ड टाईल्स तथा सतह में मार्बल फ्लोर प्लोरिंग साथ ही जल आपूति फिटिंग (ब्रांडेड) नल फिटिंग पैन फिटिंग।
11.	विद्युत वायरिंग	:–	कौन्सिलह पी0वी0सी0 कौडयूट वायरिंग सहित एसटैन्डर्ड क्वालिटी आई0 एस0 आई0 निर्मित का फिटिंग स्वीच के साथ।
12.	दीवाल फिलीसिंग	:–	पी0ओ0पी0।
13.	सीवेज	:–	सीवेज डिजाईन के अनुसार उपर्युक्त व्यव्स्था के साथ।
14.	जेनरेटर	:–	जलापूर्ति तथा कॉमन क्षेत्र के साथ-साथ पूरे फ्लैटों के लिए अतिरिक्त खर्च पर।
15.	इन्टरकॉम	:–	सभी फ्लैटों में एक प्वांइट होगा, अतिरिक्त खर्च पर अन्य प्वाईट होगा।
16.	कॉमन प्लेसे	:–	सीढ़ी पर मार्बल।
17.	पार्किंग	:–	सिमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग।

For MAHENDRA GREEN HOMES PVT. LTD.
Managing Director

निम्न गवाहों की उपस्थिति में उभय पक्षों ने इस विकास एकरारनामा (डेवलपमेन्ट एग्रीमेन्ट) को पढ़कर, पढ़वाकर सुन समझकर बिना किसी जोर या दबाव के स्वस्थ्य मन एवं दिमाग से अपने-अपने शुभ चिन्तकों एवं कानूनों सलाहकारों से विचार विमर्श कर इस पर हस्ताक्षर बनाया ताकि समय पर काम आवे वो प्रमाण रहे।

गवाह का हस्ताक्षर 19-09-12

1.

(उमाशंकर सिंह)

प्रथम पक्ष (भू-स्वामिनी) का हस्ताक्षर

महापति देवी
19/09/12

2.

Amrendra kumar singh
S/o Shiv Pujan Singh,
7, सादिकपुर योगी, रेलवे क्वार्टर
राजेन्द्र नगर, कंकड़बाग, पटना
19/09/2012.

द्वितीय पक्ष (डेवलपर्स) का हस्ताक्षर

For MAHENDRA GREEN HOMES PVT. LTD.
Ravindra Kumar
19/9/12
Managing Director

टंकणकर्त्ता

प्रारूपकर्त्ता

Adv. Patna
19/09/2012

Endorsement of Certificate of Admissibility

Admissible under Rule 5 : duly Stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. '05'. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act	**Rs. 97360/-**	
Addl.Stamp duty paid under Municipal Act	**Rs.**	**0/-**

Amt.Paid By N.J Stamp Paper	**Rs.**	**0/-**
Amt.paid through Bank Challan	**Rs.**	**98239/-**

Registration Fee

FEE PAID									
A1	**0**	C	**0**	H1b	**0**	K1a	**0**	Lii	**0**
A8	**0**	D	**0**	H2	**0**	K1b	**0**	Liii	**0**
A9	**0**	DD	**0**	I	**150**	K1c	**0**	Mb	**25**
A10	**0**	E	**250**	J1	**0**	K2	**0**	Na	**54**
B	**0**	H1a	**0**	J2	**0**	Li	**0**		
								TOTAL-	**479**

LLR + Proc Fee

LLR	**0**
Proc.Fee	**0**
Total	**0**

Service Charge

400

Total amont paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. - 879

Date: 19/09/2012

Registering Officer
Patna

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Patna on Wednesday, 19th September 2012 by Mahapati Devi W/O-Sri Uma Shankar Singh by profession House Wife. Status - Executant

महापति देवी
१९/९/१२

Signature/L.T.I. of Presentant **Date:19/09/2012**

Registering Officer
Patna

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those Executants and Identified by the person (Identified by 'Amarendra Kumar Singh' age '44' Sex 'M', 'S/O-Shiv Pujan Singh', resident of '7, Sadikpur Jogi, Railway Quater, Rajendra Nagar, Patna'.), whose Names, Photographs, Fingerprints and Signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

Date : 19/09/2012

Registering Officer
Patna

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Patna in Book 1 Volume No. 482 on pages on 405 -420 , for the year 2012 and stored in CD volume No. CD-75 year 2012 .The document no. is printed on the Front Page of the document.

Date : 19/09/2012

Registering Officer
Patna

Token No. : 31655 **Year : 2012** **S.No. : 30880** **SCORE Ver.3.0** **Deed No . : 25327**

सत्यमेव जयते

ELECTION COMMISSION OF INDIA
IDENTITY CARD
भारत निर्वाचन आयोग
पहचान पत्र

JDK5850755

Elector's Name	: Amarendra Kumar Singh
निर्वाचक का नाम	: अमरेन्द्र कुमार सिंह
Father's Name	: Shiv Pujan Singh
पिता का नाम	: शिव पूजन सिंह
Sex / लिंग	: Male / पुरुष
Age	: 36 Years as on 1.1.2004
आयु	: ३६ वर्ष १.१.२००४ को

Address : 7,Sadikapur Yogi, Relave Kwartar,
Rajendra Nagar, Kankadabag,
Town/Vill - Patna,
Anchal - Patna Sadar,
Distt - Patna - 800020

पता : ७,सादिकपुर योगी, रेलवे क्वार्टर, राजेन्द्र नगर,
कंकडबाग,
शहर/गाँव - पटना,
अंचल - पटना सदर,
जिला - पटना - ८०००२०

Facsimile Signature of
Electoral Registration Officer
for 189-PATNA (CENTRAL) Constituency
१८९-पटना (केन्द्रीय) निर्वाचन क्षेत्र
के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
के हस्ताक्षर की अनुकृति

JDK5850755

Place : Patna Sadar Date : 27.08.2004

स्थान : पटना सदर दिनांक : २७.०८.२००४

This Card may be used as an Identity Card under different Government Schemes.
इस पत्र का विभिन्न सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत पहचान पत्र के रुप में प्रयोग किया जा सकता है।